सर्वोच्च न्यायालय निर्णय

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक–प09(5)राज–6 / 2010 / पार्ट /10 जयपुर, दिनांक– 12.7.2011

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान ।

विषयः– राजकीय भूमि / सार्वजनिक स्थलो पर अतिक्रमण कर अनाधिकृत रूप से निर्मित धार्मिक पूजा स्थलो के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजकीय भूमि / सार्वजनिक स्थलों पर अनाधिकृत धार्मिक निर्माण कार्यो बाबत मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में राज्य मंत्रीमण्डल से अनुमोदित नीति विभागीय आदेश क्रमांक प09(5)राज.6 / 10 दिनांक 8.9.10 आपको प्रेषित कर यह अपेक्षा की गयी थी कि अनुमोदित राज्य नीति के अनुसार धार्मिक प्रकृति के अनाधिकृत निर्माणों को हटाने अथवा नियमित करने की कार्यवाही की जावे। उक्त राज्य नीति में यह उल्लेख किया गया है कि प्रकरण विशेष के अनुसार भूमि ट्रस्ट / संस्था को ऐसी शर्तो पर आवंटन / हस्तान्तरित कर दिया जावे जो कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जावे।

इस संबंध में जिला कलेक्टर बारां एवं अन्य जिला कलेक्टरों द्वारा यह जानना चाहा है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उक्त शर्ते क्या है ? इस संबंध में निर्देशानुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम–1963 के नियमों में मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा एवं अन्य धार्मिक स्थलों हेतु 0.5 एकड़ तक अधिकतम भूमि आवंटित किये जाने का प्रावधान है। अतः राजकीय भूमि / सार्वजनिक स्थलों पर अनाधिकृत धार्मिक निर्माण कार्यो बाबत मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में राज्य मंत्री मण्डल की आज्ञा संख्या 148 / 2010 दिनांक 4.9.2010 द्वारा अनुमोदित राज्य नीति के आदेश दिनांक 8.9.2010 के अनुसरण में आवश्यकतानुसार भूमि का नियमन / वैकल्पिक भूमि का आवंटन 1963 के उक्त नियमों में दी गयी सीमा तक जिला कलेक्टर द्वारा किया जा सकता है।

भवदीय

उप शासन सचिव